Inclusive Elections - Election Commission of India

The Election Commission of India is an independent constitutional body responsible for conducting and overseeing elections of the **Largest Democracy** of the world. Its impartial role is instrumental in upholding the fairness and integrity of the electoral process. The Commission's meticulous planning and execution of elections ensure that the elections are free and fair, reinforcing public trust and confidence.

Article 324, which created the Election Commission, holds exceptional significance. The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949 and put into effect on January 26, 1950. The Election Commission's office was established on January 25, 1950, a day before the Constitution became effective. It placed its trust in the wisdom of Indian citizens to choose their representatives in positions of authority.

India's democracy thrives on its diversity – cultural, social, geographical, linguistic, etc. This diversity is seamlessly integrated into the political and social fabric of the nation, fostering a unique blend of unity in diversity. One of the fundamental tenets of Indian democracy is **universal suffrage**. The Indian Constitution grants all adult citizens the right to vote, regardless of their caste, religion, gender, or socio-economic status. This inclusive approach ensures that every individual has a say in shaping the nation's destiny, reinforcing the notion of seamless integration within the diverse Indian population.

Today, the Election Commission stands as a cornerstone of democracy in the world's largest democratic nation. Having **conducted 17 General Elections and over 400 Assembly elections**, the ECI presently manages a diverse electorate of over 96 Crore voters, comprising roughly 49.68 Crore male and 47.07 Crore female voters, reflecting a balanced gender distribution. The count also includes about 48,000 individuals who identify as the third gender, highlighting the inclusivity of the enrolment process. Additionally, there are about 81.22 lakh voters with disabilities (PwD). The age range among voters is diverse, with approximately 1.84 Crore aged 80 and above and 2.55 lakh surpassing the age of 100. The 18-19 age group boasts approximately 1.85 Crore of new voters, enriching India's democratic tapestry. With a commitment to inclusivity, the Commission encourages the participation of young voters through initiatives like National Voters Day (NVD) and extensive awareness campaigns.

As the 18th General Elections - 2024 are around the corner, ECI has launched an array of initiatives to make the election "inclusive, accessible and participative" in its truest spirit. Targeted campaign such as 'Desh ka Form' during Special Summary Revision-2024, National Voter's Awareness Contest, Cycle Rallies and Democracy rooms for new and first-time voters, Turnout Implementation Plan for targeting each polling booth, Matdata Junction radio programme series, all aimed at fostering participation from every section of the society. This commitment is evident in spearheading efforts for 100% participation of Particularly Vulnerable Tribal Groups, along with targeted interventions for women, first-time voters, tribal groups, and Persons with Disabilities. Creating permanent Assured Minimum Facilities (AMF) is given due prominence to enhance the voter experience, making voting more accessible and convenient for citizens. Additionally, the special initiative of Home Voting, which allows eligible voters with physical disabilities, illnesses, or advanced age to cast their votes from their homes, serves to emphasise the importance of every vote.

Various divisions of the Commission work in tandem to facilitate, educate and engage with voters. Technological advancements, such as the transition to Electronic Voting Machines (EVMs) and the introduction of Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT), have enhanced transparency in elections. To combat misinformation and empower voters to make informed decision, ECI has implemented a 'fact-check' register, chatbots for officials, and digitalized content. The commitment to technological advancements is evident in the development and regular updates of apps for all stakeholders like c-Vigil, Know Your Candidate App, Saksham App, Voter Helpline App, Suvidha App, etc.

The establishment of the "India International Institute of Democracy and Election Management" (IIIDEM) showcases the ECI's dedication and commitment to sharing expertise and experience with Election Management Bodies (EMBs) in other countries, providing electoral assistance and training based on bilateral requests and multilateral arrangements to around 140 Nations.

Acknowledging the ECI's pivotal role, the Department of Posts is delighted to issue a commemorative postage stamp on '**Inclusive Elections in India**' and recognises ECI's contributions to ensuring equitable elections, encouraging voter participation, and preserving the democratic system.

Credits:

Stamp/FDC/Brochure/ Cancellation Cachet	:	Ms. Gulistaan
Text	:	Based on information received from proponent



समावेशी निर्वाचन - भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो निर्वाचनों के संचालन एवं पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी निष्पक्ष भूमिका निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। आयोग की सावधानीपूर्वक बनाई गई निर्वाचनों की योजना और कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं, जिससे जनता का भरोसा एवं विश्वास और सुदृढ़ होता है।

अनुच्छेद 324, जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, असाधारण महत्व रखता है। भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया और 26 जनवरी, 1950 को इसे लागू किया गया। निर्वाचन आयोग का कार्यालय संविधान के प्रभावी होने से एक दिन पहले अर्थात 25 जनवरी, 1950 को स्थापित किया गया था। भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त lkoZHkkfed erkf/kdkj है। इसने प्राधिकारपूर्ण पदों पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करने में भारतीय नागरिकों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया है।

भारत का लोकतंत्र अपनी सांस्कृतिक विविधता के कारण फल–फूल रहा है। यहां 2000 से अधिक अलग–अलग जातीय समूह हैं और वे अपनी–अपनी भाषाएं बोलते हैं। यह विविधता राष्ट्र के राजनैतिक और सामाजिक ताने–बाने में सहजता से घुल मिल गई है, जिससे विविधता में एकता का एक अनूठा मिश्रण विकसित हुआ है। भारतीय संविधान सभी वयस्क नागरिकों को उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक–आर्थिक स्थिति से परे वोट देने का अधिकार देता है। यह समावेशी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र की नियति को आकार देने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका हो और भिन्न–भिन्न भारतीयों के भीतर निर्बाध एकीकरण की धारणा प्रबल हो।

आज भारत निर्वाचन आयोग विश्व के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में विराजमान है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 साधारण निर्वाचनों और 400 से अधिक विधान सभा निर्वाचनों को आयोजित किया है और वर्तमान में यह 96 करोड़ से अधिक पात्र मतदाताओं के विविध निर्वाचन क्षेत्रों का प्रबंधन करता है जिसमें लगभग 49.68 करोड़ पुरुष मतदाता और 47.07 करोड़ महिला मतदाता हैं जो एक संतुलित महिला–पुरुष (Gender) वितरण को दर्शाता है। इस संख्या में 48,195 ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी पहचान थर्ड जेंडर के रूप में है, जो निर्वाचन प्रक्रिया में विविध प्रकार के जेंडर की पहचान को और अधिक बढ़ती मान्यता को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 81.22 लाख दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) मतदाता हैं। मतदाताओं में आयु सीमा अलग–अलग है जिसमें लगभग 1.84 करोड़ मतदाता 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं तथा 2.55 लाख मतदाता तो 100 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। गर्व की बात है कि 18–19 आयु वर्ग में लगभग 1.85 करोड़ नए मतदाता हैं जो भारत की लोकतांत्रिक छवि को समृद्ध बना रहे हैं। समावेशिता की प्रतिबद्धता से ओत–प्रोत, आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) और व्यापक जागरूकता अभियानों जैसी पहल करके युवा मतदाताओं को मतदान हेतु प्रोत्साहित करता है।

चूंकि वर्ष 2024 का 18वां साधारण निर्वाचन आने ही वाला है, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन को इसकी सच्ची भावना के साथ ''समावेशी, सुलभ और सहभागी'' बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2024 के दौरान देश का फॉर्म, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता, साइकिल रैलियां और नए एवं पहली बार मतदान कर रहे मतदाता के लिए लोकतंत्र की कक्षाएं, प्रत्येक बूथ को लक्ष्य बनाते हुए टर्नआउट इमप्लिमेंटेशन प्लान, मतदाता जंक्शन धारावाहिक जैसे लक्षित अभियानों का लक्ष्य समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी को बढ़ाना है। यह प्रतिबद्धता महिलाओं, पहली बार मत डाल रहे मतदाताओं, जनजातीय समूहों और दिव्यांगजनों के लिए लक्षित कार्यकलापों (इंटरवेंशन) के साथ–साथ विशेष रूप से अतिसंवेदनशील जनजातीय समूहों की शत–प्रतिशत भागीदारी के लिए प्रतिबद्धतापूर्ण प्रयासों से स्पष्ट होती है। विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान, आयोग समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संपर्क करता है और प्रत्येक लक्षित समूह की सुविधाओं के लिए उपायों को लागू करता है। भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी आश्वस्त न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) के प्रस्ताव को पर्याप्त प्रमुखता दी गई है ताकि नागरिकों के लिए मतदान को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाते हुए उनके मतदान अनुभव को बेहतर बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, घर से मतदान करने की विशेष पहल शारीरिक निःशक्तता वाले, बीमार, या अत्यधिक आयु वाले पात्र मतदाताओं को उनके घर पर ही मतदान करने की अनुमति देती है, और इस प्रकार यह प्रत्येक वोट के महत्व पर दिए जाने वाले जोर को प्रदर्शित करती है।

आयोग की विभिन्न संस्थाएं मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने, शिक्षित करने और उनसे जुड़ने के लिए मिलकर काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग की शुरुआत और मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट पर्ची (वीवीपैट) की शुरुआत जैसे प्रौद्योगिकीय विकास ने निर्वाचनों में पारदर्शिता बढ़ा दी है। मतदाता फोटो पहचान–पत्र (एपिक) और मतदाता पहचान के उपाय निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को और अधिक सुनिश्चित करते हैं। भ्रामक सूचना से निपटने और मतदाताओं को समझ–बूझ कर निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने एक फैक्ट–चौक रजिस्टर, पदाधिकारियों के लिए चौटबॉट और डिजिटल सामग्री की शुरुआत की है। सी–विजिल, नो योर कैंडीडेट एप, सक्षम एप और वोटर हेल्पलाइन ऐप जैसे एपों में उत्तरोत्तर विकास एवं नियमित अपडेट से प्रौद्योगिकीय प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई है। ''भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम)'' की स्थापना, अन्य देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के साथ विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने के द्विपक्षीय अनुरोधों और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं पर आधारित निर्वाचकीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना भारत निर्वाचन आयोग के समर्पण को दर्शाता है।

भारत निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जो भारत निर्वाचन आयोग के मानवीय चेहरे और न्यायसंगत निर्वाचन सुनिश्चित करने, मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने और लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने में इसके योगदान को मान्यता प्रदान करता है।

आभार :-

डाक–टिकट/प्रथम दिवस आवरण/विवरणिका/विरूपण कैशे पाठ : सुश्री गुलिस्तां

: प्रस्तावक द्वारा प्रदत्त जानकारी पर आधारित

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 500 पैसे
Denomination	: 500 p
मुद्रित डाक टिकटें	: 301680
Stamps Printed	: 301680
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

©डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

©Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00